



प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर & के उ शु, लखनऊ परिक्षेत्र
CGST & CX, LUCKNOW ZONE,
७-अ अशोक मार्ग, लखनऊ / 7-A. ASHOK MARG, LUCKNOW
E-mail: ccu-cexlko@nic.in Ph/Fax: 0522-2233-052 / 124



C.NO.V(30)CCO/LKO/GST/NAA/38/2017/

Dated: 01.01.2020

To,

The Additional Director General,
Directorate General of Taxpayer Services,
Central Board of Indirect Tax & Customs,
Central Revenue Building, I.P. Estate
New Delhi-110109

Sir,

Subject: Appointment of Members of State-level Screening Committees on Anti-profiteering by Designation – reg.

Kindly refer to letter No.S.31013/1/2019-ST-1-DOR dated 22.11.2019 issued by the Under Secretary (ST-1) to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (State Taxes-1 Section), New Delhi on the above mentioned subject.

As per the directions given in Para-4 of the above said letter following officer has been nominated as officer of the Central Government in the State Level Anti-Profiteering Screening Committee -

Designation	Phone Number (Landline No.)	Fax No.	Email Id	Postal Address
Joint Commissioner (Anti-Evasion), CGST & Central Excise	0522-2233132	0522-2233055	commr-cexlko@nic.in	7-A, Ashok Marg, Lucknow-226001

This issues with the approval of the Pr. Chief Commissioner.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar Misra)
Joint Commissioner

Copy to-

1. The Commissioner, Commercial Tax UP, Head Office, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 with request to kindly issue notification and copy of the same may please be communicated to this office at the earliest.
2. The Joint Commissioner, Anti-Evasion, CGST & Central Excise, Lucknow for information please.

(Ajay Kumar Misra)
Joint Commissioner

कार्यालय: कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(एण्टी प्रोफिटियरिंग)

लखनऊ: दिनांक- 10 दिसम्बर, 2019
अत्रवरी

:- आदेश :-

उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क०नि०- 2 - 1404/ग्यारह - 09 (109)/17-उ० प्र० अधि०- 1 - 2017 - आदेश (46) -2017, दिनांक-26.09.2017 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उ०प्र० माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करते हैं जिसे उ०प्र० मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में जाना जाएगा। उक्त समिति में निम्नलिखित होंगे-

- (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और
- (ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला, केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी।

उपरोक्त के क्रम में अवर सचिव (एस.टी.-1) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पत्र सं०-S-31013/1/2019-ST-1DOR, दिनांक-22.11.2019 के क्रम में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में निम्न अधिकारी को उ०प्र० मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति में कमांक (क) पर एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर/राज्य कर, उ०प्र० को नामित किया जाता है।

3.

✱

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर/राज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ

पृ०प०सं० व दिनांक:- उक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- चीफ कमिश्नर, जी०एस०टी० तथा सेन्ट्रल एक्सआईज, लखनऊ जोन, लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- ज्वाइंट कमिश्नर (एण्टी प्रोफिटियरिंग), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- ज्वाइंट कमिश्नर(आई०टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी० / विधि)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ